50 52/29/12/2020

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

संख्या : 1631/आठ–3–20–26 विविध/2017 टी0सी0

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक :24 दिसम्बर, 2020**

विषयः Online Building Plan Approval System (OBPAS) पर मानचित्रों की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश दिनांक 02.09.2019 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1036/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0 दिनांक 02.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के माध्यम से ऑन लाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने तथा शुल्क जमा होने के उपरांत अवर अभियन्ता स्तर पर प्राप्त आवेदनों के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों से आवेदक को अवगत कराये जाने हेतु अधिकतम 07 दिवस की समय–सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने तथा शुल्क जमा होने के उपरांत अवर अभियन्ता स्तर पर प्राप्त आवेदनों के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों से आवेदक को अवगत कराये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 02.09.2019 में निर्धारित समय सीमा 07 दिवस के स्थान पर 07 कार्य दिवस समझी जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 02.09.2019 शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1631(1)/आठ–3–20–26 विविध/2017 टी0सी0–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।

क्रमशः......

7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि. लखनऊ।
13. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन।
14. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
16. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।